# न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 75/2016

1. श्री चेन सिंह
2. श्री अर्जुन सिंह

पुत्रगण श्री भीमसिंह जाति रावत निवासी ग्राम तीन नाली टाटगढ़, तहसील टाटगढ़, जिला अजमेर।

.....*अपीलान्ट्स*

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़

.....*रेस्पोन्डेन्ट*

**अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**

**उपस्थित :–1.** श्री घनश्याम सिंह लखावत, वकील अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

**–: आदेश :–**

**दिनांक 23.09.2016**

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि संवत् 2072 में श्री अर्जुन सिंह व श्री चैन सिंह पुत्रगण श्री भीमसिंह जाति रावत निवासीगण ग्राम तीन नाली टाटगढ़ तहसील टाटगढ़ जिला अजमेर ने ग्राम टाटगढ़ स्थित सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 6761 व खसरा नम्बर 6760 में से रकबा क्रमशः 3 बिस्वा, 3 बिस्वा भूमि पर पत्थर डालकर व बाड़ लगा कर अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार टाटगढ़ के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमियों के विरूद्व राजस्व प्रकरण संख्या 66/2015 पंजीकृत किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 16.09.2015 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार अतिक्रमियों की विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति कायम करने के साथ ही मौके पर पड़ी सामग्री को कब्जे में लेकर नीलामी करने के भी आदेश दिये गये। अपीलान्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 16.09.2015 से असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट्स ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया जबकि प्रथम पेशी दिनांक 16.09.2015 को अपीलान्ट्स

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

की ओर से उनके अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समय दिये जाने का लिखित में निवेदन किया किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समय दिये जाने का कोई औचित्य नहीं होना वर्णित करते हुए आक्षेपीय आदेश पारित कर दिया, जो वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में पूर्णतया अवैद्य होने से निरस्त योग्य है। वकील अपीलान्ट्स ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि विवादित खसरा नम्बर 6760 व 6761 जो पूर्व खसरा नम्बर 3029 व 3030 से बने है तथा पूर्व खसरा नम्बर अपीलान्ट्स के पूर्वजों की खातेदारी भूमि रही है इसकी पुष्टि मिलान क्षेत्रफल व अन्तिम चौसाला जमाबंदी संवत् 2022–2025 से होती है, किन्तु वर्किग जमाबंदी बनाते समय इसे राजस्व अभिलेखों में त्रुटिपूर्ण रूप से राजकीय भूमि कर दिया गया है। इस प्रकार राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत अभिलेख बनाये जाने से भूमि राजकीय दर्ज हुई है। अपीलान्ट्स द्वारा किसी प्रकार की कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। उनका कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय आदेश पारित करने से पूर्व न तो किसी प्रकार की कोई जांच की गई है न ही अपीलान्ट्स द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समय दिये जाने की प्रार्थना स्वीकार की गई तथा न्यायालय में पूर्व में उपलब्ध छपे हुए फार्म में रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आक्षेपीय आदेश पारित करना वर्णित कर दिया गया है, जबकि धारा 91 के तहत की जाने वाली कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने अपने में नीहित न्यायिक शक्तियों का अवैद्यानिक प्रयोग किया है। उनका यह भी कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय को नियमानुसार रागरत तथ्यों की जांच कर अपीलान्ट्स को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर विधिनुकूल आदेश पारित करना चाहिये था जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर.बी.जे. 1998 पेज 460 में न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया गया है। अन्त में उन्होने कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान् वकील अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि अपील अपीलान्ट्स तहसीलदार टाटगढ़ को पुर्नविचार हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित होगा।

हमने उभयपक्ष के वकीलों द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड मिलान क्षेत्रफल एवं जमाबंदी संवत् 2022–2025 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित खसरा नम्बर 6760 व 6761 खतौनी संख्या 460 में अंकित खसरा नम्बर 3029 व 3030 से बने है। साबिक खसरा नम्बर पूर्व में श्री पीथासिंह पुत्र श्री भीमसिंह की खातेदारी में अंकित थे, किन्तू वर्किग जमाबंदी में उक्त भूमियां सिवायचक दर्ज कर दी गई है। इसके अतिरिक्त पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट्स अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जरिये वकील उपस्थित हुए तथा साक्ष्य एवं सबूत पेश करने हेतु समय चाहा, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य हेतु समय नहीं दिया जाकर आक्षेपीय आदेश पारित कर दिया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

अपील तहसीलदार टाटगढ़ को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे अपीलान्ट्स को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करें।

आदेश आज दिनांक 23.09.2016 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर,
अजमेर